

वित्तीय दिशा निर्देश 2012–13

कार्यक्रम का नाम— बंध्याकरण कैम्प का आयोजन (Female Sterilization Camps)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष— A.3

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.3.1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

परिवार नियोजन कार्यक्रम में वांछित उपलब्धि हेतु जिला स्तर/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Only Govt. Health Facilities) स्तर पर बंध्याकरण कैम्प के आयोजन हेतु Client Mobilization तथा प्रचार, प्रसार एवं बंध्याकरण के बारे में जागरूकता फैलाने तथा कैम्प में आए लाभार्थियों की देखभाल के लिए राशि प्रदान की जा रही है।

नोट: बन्ध्यारण कैम्प हेतु आवंटित राशि सिर्फ कैम्प के आयोजन हेतु आवंटित है। लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति राशि (**Compensation**) बजट क्रम संख्या A.3.1.4 से ही भुगतान किया जाना है।

भारत सरकार ने परिवार नियोजन कैम्प की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश पुस्तिका बनाई है। यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है। [Link](#):

http://www.mohfw.nic.in/NRHM/FP_files/Guidelines/Limiting%20Methods/Standard%20Operating%20Procedures%20for%20Sterilization%20Services%20in%20Camps.pdf

इकाई राशि (रु० में)— `5000/प्रति कैम्प (provided minimum 15 cases conducted per camp)

वित्तीय दिशा निर्देश—

Client Mobilization तथा प्रचार, प्रसार एवं बंध्याकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए `5000/- प्रति कैम्प (provided minimum 15 cases conducted per camp)

क्र० सं०	गतिविधि	कुल इकाई राशि
1	Logistics requirement to organize camp, POL/Transport for accepters, contingency, arrangement for comfort of patients, purchase of small items related to FP opration (ketamin, gloves etc.)	3000/-
2	For transport of surgeon (service provider)	1000/-
3	IEC/BCC for the camp, use of PA System, Hand Bills, Advt vide newspapers, cable, TV channels, banners etc.	1000/-
Total		5000/-

निष्कर्ष : परिवार कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु Female Sterilization camp का आयोजन किया जाना है ताकि जिलों द्वारा वांछित उपलब्धि प्राप्त की जा सके। प्रचार — प्रसार प्रभावशाती करने हेतु उपरोक्त राशि को व्यय किया जा सकता है।

Checklist : Medical Record and Check list for female Sterilization.(Red Book-Annex.3)

मूल्यांकनः— इस गतिविधि के माध्यम से एक कैम्प के आयोजन से पूर्व आसपास के क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर बंध्याकरण कैम्पों को सफल बनाने के प्रयास किये जायें।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम — डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017 / 9431005971

